

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2024 अपील

कैलाश जाट आत्मज भैरूलाल जाट निवासी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
राणीखेड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरुद्ध तहसीलदार माण्डलगढ़ निर्णय दिनांकित 19/04/2023

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय परोकार, प्रत्यर्थागण की ओर से



निर्णय

दिनांक 06/02/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट अनुसार पटवारी पटवार हल्का खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सरहद राणीखेड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2934/90 में रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गैमु किडास्थल भूमि पर संवत् 2080 में अतिक्रमण किया। जिस पर पटवारी हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उसे नजर अंदाज कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलार्थी को बेदखल कर लगान का 50 गुणा 2/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का आदेश पारित फरमा दिया गया। अपीलार्थी द्वारा कोई किडास्थल की भूमि पर कब्जा नहीं किया है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 90 रकबा 32 बीघा 05 बिस्वा जो आबादी भूमि से सटी हुयी है, आराजी नम्बर 90 रकबा 32 बीघा 05 बिस्वा मे से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राणीखेड़ा को खेल मैदान हेतु आंवटन हुयी, उक्त जमीन ग्राम की आबादी के पास में स्थित है, आराजी नम्बर 90 रकबा 32 बीघा 05 बिस्वा के कुछ भू भाग पर गांव की बसावट हुयी तभी से पालतु जानवरो के लिए बाड़ा बना रखा था, उक्त बाड़ा आज भी बरकरार जिसे करीब 60 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। उक्त आराजी

Dr. 2.26
अति जिला कलक्टर
Page 1/3
भीलवाड़ा

नम्बर 90 रकबा 32 बीघा 05 बिस्वा मे स्कूल के नाम पर भूमि आंवटन हुई उससे पूर्व ही अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजो का कब्जा एवं उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे चला आ रहा है। आराजी नम्बर 2934/90 रकबा 10 बीघा भूमि में गेल इण्डिया कम्पनी की गैस पाईप लाईन निकली हुई है, जिससे खेल मैदान का उपयोग खेलने के लिये नहीं हो रहा है। जिसकी शिकायत भी ग्रामवासीयान् द्वारा तहसीलदार माण्डलगढ को की है, जिसकी कार्यवाही नहीं कर उल्टा गांव वालो के विरुद्ध उक्त 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही की है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी को उक्त नोटिस जारी हुआ, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को भी उक्त तथ्यो से अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही समाप्त कर देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्शाकर व बिना अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये, एकपक्षीय उक्त आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्ण सुनवायी का अवसर दिये बिना केवल मात्र आदेशिका में हस्ताक्षर करा, उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल फरमायी है। पत्रावली पर केवल मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट होकर उसके बयान भी नही है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी व तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 17/01/2024 को अतिक्रमण हटाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ के नाम संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया व दिनांक 19/01/2024 को पटवार हल्का द्वारा जबरन बेदखल करने के लिए आया व न्यायालय द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित करने की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी कर नकल हेतु आवेदनपत्र पेश किया व नकल प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार माण्डलगढ का रिकॉर्ड प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ की ओर से राजकीय परोकार ने उपस्थित होकर कथन नोट कराए गए।

तहसीलदार माण्डलगढ की ओर से पैरवीकर्ता राजकीय परोकार ने बताया कि अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिचारी होकर निरन्तर अतिचार किया गया है। अतिक्रमी ने स्कूल गै०मु० किडीस्थल के भूखण्ड पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी के पास प्रश्नगत भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में कोई वैध दस्तावेजात नहीं है। मूल अधीनस्थ पत्रावली रिकॉर्ड पर है, विधिवत सम्मन के बावजूद विपक्षी अनुपस्थित रहा था। खेल भूमि/खेल मैदान बच्चों के क्रिडा स्थल में ली जाकर सार्वजनिक में उपयोग में लिया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई निजी व्यक्ति उक्त भूमि को निजी सम्पित नहीं बता सकता है। आदेश विधि अनुसार ही पारित किया

6.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गया है। भूमि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग गै०मु० क्रिडास्थल में होना चाहिए। निजी कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि धन्ना जाट ने उक्त आराजी की प्रश्नगत भूखण्ड किस्म गै०मु० क्रिडास्थल पर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्वजों के समय से कब्जा/निजी स्वामित्व के संबंध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए। अपीलान्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आधारहीन व सारहीन ठहरती है, अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956

अपील आधारहीन व सारहीन है। वर्णित आराजी की प्रश्नगत भूखण्ड किस्म गै०मु० क्रिडास्थल पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर रखा है। पूर्वजों के समय से कब्जा/निजी स्वामित्व के संबंध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए। इस कारण अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

